

फर्द अहकाम


(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

मांगीलाल पिता मोड़ा भारती निवासी सरोपा तहसील कपासन  
बनाम

सरकार जरिये तहसीदार, कपासन

प्रकरण संख्या 03/2018 (रा.अ.)

| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज   | नम्बर व<br>तारीख<br>अहकाम जो<br>इस हुक्म की<br>तामील में<br>जारी हुए |
|----------------|--|--|
| 11.11.22       | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट आज भी अनुपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रुक-रुक कर तीन बार आवाजें लगवाई गईं फिर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलांट प्रकरण में दिनांक 28.10.2021 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलांट को दिनांक 29.09.2022 को न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया गया था फिर भी वे आज भी अनुपस्थित हैं। अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं हैं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>  |  |